न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 02/2020 (RCMS No. 2020/00061)
अनवान् 1. नीलम पत्नी सूरज जाति कश्यप निवासी मास्टर कॉलोनी, श्रीगंगानगर बनाम 1. रमेश कुमार पुत्र श्री आनन्द 2. सूरज पुत्र रमेश कुमार जाति कश्यप निवासी मास्टर बस्ती, शुगर कॉलोनी, वार्ड नम्बर 49, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.06.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थिया नीलम रानी बार–बार आवाज लगाने पर उपस्थित नहीं आई। रेस्पोडेंट संख्या 02 सूरज तामील के बावजूद आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं है इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। रेस्पोडेंट संख्या 01 रमेश कुमार स्वयं उपस्थित है।

रेस्पोडेंट संख्या 01 रमेश कुमार पत्र आनन्द सिंह ने एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि इस मामले में इस न्यायालय से जारी स्थगन आदेश निरस्त हो चुका है इसलिए उसके पुत्र रेस्पोंडेंट संख्या 02 व उसकी पुत्रवधु अपीलार्थिया नीलम को उसके मकान से बेदखल किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थियां स्वयं उपस्थित नहीं है बल्कि उसकी ओर से श्री राकेश कुमार, एडवोकेट ने प्रार्थना की कि अपीलार्थिया आज लॉक डाउन के कारण उपस्थित नहीं हो सकी है, इसलिए इस मामले में आगे सुनवाई हेतु तारीख दी जावे और पूर्व में जारी स्थगन आदेश को बढाया जावे।

उसका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थिया नीलम जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 – रमेश कुमार पुत्र आनन्द की पुत्रवधु है और माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं कर सकते थे, इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जावे और उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 23.12.2019 निरस्त किया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अपीलार्थिया नीलम स्वयं उपस्थित नहीं है। चूंकि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 17 के तहत किसी भी विधि व्यवसायी द्वारा किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किया जाना वर्जित है इसलिए अपीलार्थिया की ओर से राकेश कुमार, अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रस्तुत किये गये कथन विचारणीय नहीं है। अतः रेस्पोडेंट रमेश कुमार की एक पक्षीय बहस सुनी जानी उचित है।

रेस्पोडेंट रमेश कुमार का कथन है कि उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4 व 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पेश किया गया था, जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने दोनों पक्षों को सुनकर उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडंट संख्या 2 सूरज को रेस्पोडेंट संख्या 01 (रमेश कुमार) को प्रतिमाह 1000/— (एक हजार रूपये) दिसम्बर 2019 से बतौर भरण पोषण दिये जाने के आदेश दिया गया था और साथ ही उसके क्रयशुदा मकान से रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण सूरज व नीलम को बेदखल करने के आदेश दिये गये थे, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करने योग्य है।

उसका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी नीलम जो कि उसकी पुत्रवधु है, को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत श्रीमान् न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थिया नीलम द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जावे और अपीलार्थिया व उसके पति रेस्पोडेंट संख्या 02—सूरज को उसके मकान से बेदखल किया जावे।

मैने बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 01

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

रमेश कुमार ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4 व 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पेश किया गया था, जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने दोनों पक्षों को सुनकर उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडंट संख्या 2 सूरज को रेस्पोडेंट संख्या 01 (रमेश कुमार) को प्रतिमाह 1000/– (एक हजार रूपये) दिसम्बर 2019 से बतौर भरण पोषण दिये जाने का दिनांक 23.12.2019 को आदेश दिया गया और साथ ही उसके क्रयशुदा मकान से रेस्पोडेंट संख्या 02 सूरज व अपीलार्थिया नीलम को बेदखल करने के आदेश दिये गये थे, जिसकी अप्रसन्नता से रेस्पोडेंट संख्या 02 नीलम पत्नी सूरज ने इस न्यायालय में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में पेश की है।

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 16(1) के तहत संतान को या अन्य किसी व्यक्ति को माता–पिता/वरिष्ठ नागरिक के विरूद्ध अपील पेश करने की अधिकारिता है अथवा नहीं? धारा 16(1) निम्न प्रकार से है:

> **धारा 16.अपील–**(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण–पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता–पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

परन्तु यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपीलार्थी समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

जहां तक अपीलार्थिया का पुत्रवधु की हैसियत से अपील पेश करने का सम्बन्ध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता–पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर. एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्दकुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:–

13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099.

This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार कोई भी न्यायालय/सरकार/अथोरिटी किसी भी प्रभावी कानून के विपरीत जाकर कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं कर सकती है। चूंकि धारा 16(1) के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिक या माता– पिता के द्वारा प्रस्तुत अपील को ही इस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है और किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने की अधिनियम में कोई अधिकारिता नही दी गई है। और न ही संतान या संबंधी के रूप में प्रस्तुत की गई किसी अपील पर उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के विपरीत कोई अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है। इसलिए अपीलार्थिया नीलम द्वारा पुत्रवधु के रूप में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में धारा 16(1) मे तहत अपील पेश करने के लिए सक्षम नहीं है इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को इस न्यायालय को भी सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए उक्त अपील खारिज करने योग्य है।

अतः **अपीलार्थिया नीलम द्वारा** पुत्रवधु के रूप में प्रस्तुत की गई यह अपील खारिज की जाती है और इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 23.12.2020 यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति अपीलाथिंया व रेस्पोडेन्ट्स को भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भी भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर